तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म [illegible]
	के तहत	

आराजियात धारा 183 आर॰टी॰ए॰ के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा पालखेड़ी पटवार मण्डल पालखेड़ी के खाता संख्या 10 नकल जमाबंदी सम्वत 2077 में वर्णित आराजी नम्बर 232 रकबा 0.2377 है. भूमि लगान 0.40 रुपया स्थित है जो वादी की खातेदारी की है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 232 की पत्थरगढ़ी कराने हेतु आवेदन पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला में पेश करके प्रार्थना पत्र पर प्रकरण संख्या 7/2022 के पर आदेश होने पर दिनांक 25/4/2022 को भू॰अ॰नि॰ व पटवारी हल्का द्वारा नाप मौके पर कार्य कर पत्थरगढ़ी की गई जिस पर वादी की आराजी नम्बर 232 के उत्तरी तरफ $1\frac{1}{2}$ बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा पाया गया। जिसे पत्थरगढ़ी पर्चा प्रतिवादी के अवैध कब्जे को पत्थरगढ़ी दर्शायी गयी मौका व नक्शा में दर्शाया गया है। वादी द्वारा प्रतिवादी को अपना कब्जा स्वेच्छा से हटाये जाने हेतु कहा गया किन्तु इनके द्वारा अवैध कब्जा नहीं छोड़ने से वादपत्र पेश किया गया है। वादपत्र को बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी संख्या-1 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 का सम्मन नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ जिसको शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात पत्रावली एक पक्षीय साक्ष्य वादी में नियत की गई साक्ष्य वादी में [illegible] लाल के शपथपत्र अन्तर्गत [illegible] सा॰गी जी का पेश हुआ जिसमें [illegible] के बयान कराये गये, नकल जमाबंदी प्रदर्श-1 है पत्थरगढ़ी पर्चा मौका प्रदर्श-2 है जिस पर

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.11.05 14:08:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner